

20-5-22

पत्रावली पेश हुई करील जाये उपस्थित  
वास्ते जमानत साकार पत्रावली 15-7-22  
को पेश हो

15-7-22

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष  
उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उपस्थित  
राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं।  
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण  
कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक  
कार्यवाही हेतु दिनांक 16-7-22 को  
पेश हो

16-9-22

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष  
उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी  
राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं।  
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण  
कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक  
कार्यवाही हेतु दिनांक 18-10-22 को  
पेश हो

18-11-22

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष  
उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी  
राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं।  
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण  
कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक  
कार्यवाही हेतु दिनांक 27-1-23 को  
पेश हो

27-1-23

पत्रावली पेश हुई अन्वयवन्ता प्राणी उपस्थित  
प्राणी अन्वयवन्ता द्वारा दस्तावेज पेश किये  
गये शामिल पत्रावली किए गए पत्रावली का अवलोकन  
करने पर पाया गया कि प्राणीगण द्वारा अप्राणी सं.  
रामनाथ आत्मज रोड से अनुमोष पाए जाई।  
अप्राणी सं. की मृत्यु होना पत्रावली पर उपलब्ध  
तमसील शर्चना-पत्र से स्पष्ट है कि प्राणीवारी सं.  
की मृत्यु हो चुकी है प्राणीवारी सं. के कोर्ड वास्त्रियान  
नहीं होना भी शर्चना-पत्र से स्पष्ट है तथा तद्विषय  
इत्याद की रिपोर्ट के अनुसार प्राणीवारी सं. के कोर्ड

7

वारिसान नहीं होने की पुष्टि होती है। अप्तार्थी सा.  
के कोई वारिसान नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र  
0-1 R-10(2) CPC स्वीकार किया जा चुका है  
वैसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र की प्रासंगिकता व  
उपयुक्तता नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थना-पत्र  
का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फौसल सुमा देकर बाद तत्काल  
दाखिल दफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी जिला बून्दी